

परिशिष्ट-1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.2: पृष्ठ 1)

विभागों का संक्षिप्त प्रालेख

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभागों के मुख्य कार्य/उद्देश्य हैं:
1	कृषि	स्वाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए भूमि एवं जल जैसे संसाधनों के कुशल उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, फसल विविधीकरण, जैविक कृषि तथा मशीनीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। उत्पादकता एवं आय में वृद्धि हेतु वैज्ञानिक तकनीकों, एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन तथा मिश्रित-गहन कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण, लागत में कमी तथा फसल बीमा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। किसानों को नियमित रूप से प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
2	कृषि विपणन	किसानों के उत्पाद के लिए उचित एवं प्रतिस्पर्धी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बाजार प्रांगण सुविधाओं तथा मंडी अवसरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। पड़ोसी राज्यों से स्वरीददारों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एवं प्रसंस्करण हेतु कृषि-औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
3	पशुपालन	गायों एवं भैंसों में वैज्ञानिक प्रजनन, उच्च शुद्ध वंश वाले सांडों के वितरण तथा देशी नस्लों के संरक्षण के माध्यम से आनुवंशिक सुधार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्पादकता बढ़ाने हेतु पशुओं में बांझपन के उपचार के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। पशुधन विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत नस्ल के हास को रोकने के लिए अनुपयोगी सांडों का बंध्याकरण किया जा रहा है।
4	कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय	हमारी सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण और संरक्षण, मूर्त और अमूर्त दोनों कला और संस्कृति के संवर्धन को बढ़ावा देना, विभिन्न कला और वास्तुकला के रूप में सन्निहित सांस्कृतिक विरासत की खोज, संरक्षण, सुरक्षा, प्रदर्शन और व्याख्या करने के लिए ठोस प्रयास करना। यह अपने नियंत्रणाधीन स्मारकों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, पुरातात्विक स्थलों की भी देखरेख करता है।
5	नागरिक उड्डयन	एक एकीकृत इको-सिस्टम स्थापित करना, जिससे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, जिससे पर्यटन, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और संतुलित क्षेत्रीय विकास होगा।
6	सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग	निर्मित सिंचाई क्षमता के कुशल उपयोग और कृषि विस्तार और संधारणीय कृषि अनुसंधान के समन्वय से अधिकतम भूमि को सिंचित करके कृषि उत्पादन प्राप्त करना।
7	सहकारिता	सहकारिता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, किसानों और जरूरतमंद व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना।

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभागों के मुख्य कार्य/उद्देश्य है:
8	देवस्थान	मंदिरों/धार्मिक संस्थानों में आत्मनिर्भरता पैदा करना। विभाग, पूजा सुविधाएं प्रदान करने, विभिन्न त्योहारों एवं मेलों का आयोजन करने, सार्वजनिक ट्रस्टों के पंजीकरण एवं पर्यवेक्षण तथा इनके नियंत्रण, देवस्थान विकास की योजना बनाने, जनता के लिए धर्मशालाओं और विश्राम गृहों के निर्माण एवं रखरखाव तथा विभिन्न मंदिरों के लिए महंतों और पुजारी की नियुक्ति और इनके नियंत्रण एवं प्रबंधन में भी शामिल है।
9	ऊर्जा	ऊर्जा संसाधनों की खोज, विकास और वितरण की निगरानी करके, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देकर और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तन को सुगम बनाकर एक सुरक्षित और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को विकसित और लागू करना। इसलिए, विभाग पूरे राज्य में बिजली उत्पादन, संचरण एवं वितरण प्रणालियों के संचालन की निगरानी और नियमन करता है। इसके अलावा, विभाग ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को ऋण एवं अनुदान के लिए मंजूरी देता है तथा अन्य प्रशासनिक मामलों से निपटता है।
10	पर्यावरण	विकास योजनाओं से संबंधित योजना स्तर पर पर्यावरण मूल्यांकन करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं परियोजनाएं, कार्यक्रम बनाना एवं निष्पादित करना तथा अन्य सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा तैयार किए गए पर्यावरण संबंधी प्रस्तावों की संवीक्षा करना है।
11	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण	विभाग कारखाना अधिनियम, 1948 तथा बॉयलर अधिनियम, 1923 के प्रवर्तन के माध्यम से कारखाना श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करता है। यह कारखानों एवं बॉयलरों के पंजीकरण, भवन योजनाओं की स्वीकृति, दुर्घटनाओं की जांच तथा औद्योगिक श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण एवं चिकित्सीय निगरानी की व्यवस्था करता है।
12	मत्स्य पालन	आंतरिक मत्स्य संसाधनों एवं जलीय कृषि का सतत उपयोग तथा प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा रहा है। बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता (368 मिलियन गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज), एकीकृत कृषि प्रणाली, तथा मूल्य संवर्धन एवं विपणन प्रोत्साहन सहित फसल उपरांत अवसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रोटीन-समृद्ध आहार तक पहुँच सुनिश्चित कर भूख, कुपोषण एवं गरीबी में कमी लाने हेतु जलीय कृषि के विस्तार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
13	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	किसानों से खाद्यान्न की उचित मूल्य पर खरीद, उसका भंडारण/संभाल, बफर स्टॉक का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन एवं उचित संचालन को सुनिश्चित करना।
14	वन	वानस्पतिक आवरण को बढ़ाकर पर्यावरण स्थिरता तथा पारिस्थितिकी सुरक्षा प्राप्त करना। इसे राज्य के प्राकृतिक आवरण के विस्तार के लिये सघन वृक्षारोपण, मरुस्थलीकरण का मुकाबला कर, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क के माध्यम से वनस्पति एवं जैव विविधता एवं जीन पूल रिजर्व से प्राप्त किया जाना है।
15	गोपालन	गौशालाओं के पंजीकरण तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ देशी गायों की नस्लों के संरक्षण एवं उन्नयन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। चारा प्रबंधन, गौ-पालन संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण, गौ-उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा पंचगव्य पर अनुसंधान को संबल प्रदान किया जा रहा है।
16	भूजल	विभाग सभी प्रकार की भूजल संबंधी गतिविधियों जैसे भूजल संसाधन मूल्यांकन, सर्वेक्षण और जांच, गहरे ट्यूबवेलों की ड्रिलिंग, भूजल गुणवत्ता निगरानी, स्रोत विकास, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं और वर्षा जल संचयन संरचनाओं के लिए तकनीकी सहायता के लिए राज्य में नोडल विभाग है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभागों के मुख्य कार्य/उद्देश्य है:
17	उद्यानिकी	फलों, सब्जियों, मसालों, औषधीय एवं फूलों की खेती वाली फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए उच्च उत्पादक किस्मों के प्रसार, किसान प्रशिक्षण, कुशल सिंचाई प्रणालियों तथा विभिन्न राज्य एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत उन्नत तकनीकों के प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सतत बागवानी विकास एवं किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु उच्च तकनीक नर्सरियों, सौर पंपों, ग्रीनहाउस तथा माइक्रो-सिंचाई अवसंरचना का विकास किया जा रहा है।
18	इंदिरा गांधी नहर	कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना और पीने और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराना है।
19	उद्योग एवं वाणिज्य	औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और स्थानीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने हेतु नीतियों के निर्माण के माध्यम से औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जा रहा है। यह विभाग उद्यमियों के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों तथा हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करता है, कंपनी पंजीकरण एवं उत्पाद विपणन को सुगम बनाता है तथा औद्योगिक अवसंरचना के विकास को संबल प्रदान करता है।
20	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	राज्य के कार्यक्रमों और सेवाओं के प्रशासन में सुधार के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी निकायों में प्रौद्योगिकी का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करना। विभाग तकनीकी मामलों तथा आईटी परियोजनाओं का पुनरीक्षण भी करता है। विभाग राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीति बनाता है और लागू करता है।
21	स्नान एवं भूविज्ञान	वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित करते हुए, राजस्व संग्रहण तथा अवैध गतिविधियों की रोकथाम के माध्यम से खनिज संसाधनों का विनियमन एवं प्रबंधन किया जा रहा है। विभाग नए खनिज भंडारों की खोज करता है, पट्टाधारकों को सहयोग प्रदान करता है, अवसंरचना का विकास करता है तथा राष्ट्रीय खनन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राज्य सरकार को परामर्श देता है।
22	पेट्रोलियम	अन्वेषण ब्लॉकों की पहचान करना, लाइसेंसों का प्रबंधन करना तथा पेट्रोलियम अन्वेषण एवं खनन से संबंधित राजस्व का संग्रह करना विभाग की मुख्य जिम्मेदारियाँ हैं। यह राज्य एवं केंद्र सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर अनुमोदनों की प्रक्रिया को सुगम बनाता है तथा राजस्थान रिफाइनरी परियोजना सहित पेट्रोलियम रियायतों से संबंधित प्रस्तावों की निगरानी करता है।
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	राज्य की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या को पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भूजल एवं सतही जल संसाधनों का विकास तथा वितरण हेतु आवश्यक अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है। विभाग राज्य की जलापूर्ति योजनाओं का विनियमन करता है तथा जल प्रभारों का संग्रह भी करता है।
24	सार्वजनिक निर्माण	सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों के निर्माण और रखरखाव। विभाग इन मामलों में राज्य सरकार के तकनीकी सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है।
25	राजस्थान राज्य मोटर गैराज	राज्य सरकार की मोटर वाहन पॉलिसी को लागू करना। इसके अतिरिक्त यह पदाधिकारियों को राज्य/जिला पूल से मोटर वाहनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभागों के मुख्य कार्य/उद्देश्य है:
26	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नये क्षेत्रों को बढ़ाना तथा राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और बढ़ाने के लिये नोडल विभाग की भूमिका निभाना।
27	राज्य उद्यम	सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, राज्य उपक्रम विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
28	पर्यटन	राज्य के पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देकर इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अग्रणी पर्यटन ब्रांड बनाना । इसका मुख्य कार्य मौजूदा पर्यटन उत्पादों को मजबूत करना और विविधता लाना, नवीन पर्यटन उत्पाद प्रदान करना, पर्यटक आवास संरचनाओं का विस्तार करना और पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
29	परिवहन एवं सड़क सुरक्षा	मोटर वाहनों का पंजीकरण तथा फिटनेस, मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, मोटर वाहनों को अनुमति-पत्र जारी करना, जनता के लाभ के लिये मार्गों का निर्धारण तथा वाहन प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में काम करना।
30	जल संसाधन	प्रमुख, मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मौजूदा ढ़ँकों, नहरों और अन्य सिंचाई संरचनाओं का संचालन और रखरखाव विभाग का प्रमुख कार्य है। विभाग बाढ़ नियंत्रण उपाय भी अपनाता है तथा विभिन्न विशेष योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई संरचनाओं का निर्माण करता है।

परिशिष्ट-2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5.1; पृष्ठ 4)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के अवधिवार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या				बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या				सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षों से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग
1.	कृषि	190	43	18	251	762	319	216	1,297	2,062.66	984.17	498.42	3,545.25
2.	कृषि विपणन	6	1	5	12	10	5	22	37	0.92	42.86	458.22	502.00
3.	पशुपालन	51	10	22	83	119	59	170	348	3,040.55	147.90	435.51	3,623.96
4.	कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय	57	9	11	77	168	31	49	248	187.04	50.12	19.07	256.23
5.	नागरिक उड्डयन	3	3	2	8	8	11	10	29	34.10	4.72	91.18	130.00
6.	सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग	41	3	3	47	66	12	12	90	71.51	20.96	40.72	133.19
7.	सहकारिता	72	13	9	94	205	51	34	290	2,211.47	106.82	118.26	2,436.55
8.	देवस्थान	33	3	11	47	92	14	60	166	185.93	32.10	185.32	403.35
9.	ऊर्जा	1	2	3	6	1	2	7	10	278.49	0	380.16	658.65
10.	पर्यावरण	6	3	1	10	30	16	12	58	576.31	26.70	1,118.76	1,721.77
11.	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण	1	3	12	16	1	14	39	54	0	1.72	5.54	7.26
12.	मत्स्य पालन	0	1	6	7	0	6	27	33	0	14.25	53.26	67.51

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या				बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या				सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षों से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग
13.	स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	84	21	12	117	384	164	96	644	5,053.42	502.56	283.90	5,839.88
14.	वन	269	68	52	389	954	439	402	1,795	1,233.76	450.92	1,032.05	2,716.73
15.	गोपालन	11	9	4	24	50	62	28	140	8.52	260.80	1,461.46	1,730.78
16.	भूजल	25	5	8	38	35	15	23	73	393.86	58.89	19.50	472.25
17.	उद्यानिकी	34	11	11	56	117	55	93	265	528.05	24.04	653.87	1,205.96
18.	इंदिरा गांधी नहर	59	5	4	68	121	19	31	171	270.70	126.80	51.17	448.67
19.	उद्योग एवं वाणिज्य	31	11	15	57	108	44	74	226	117.72	48.19	1,338.69	1,504.60
20.	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	4	4	3	11	5	21	36	62	441.68	1,045.70	132.83	1,620.21
21.	स्नान एवं भूविज्ञान	261	48	58	367	853	309	587	1,749	1,888.59	422.05	2,833.45	5,144.09
22.	पेट्रोलियम	1	1	1	3	1	2	2	5	118.06	0	195.39	313.45
23.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	967	127	108	1,202	3,483	865	694	5,042	9,721.28	2,610.23	6,490.26	18,821.77
24.	सार्वजनिक निर्माण	1,142	168	111	1,421	5,273	1,022	684	6,979	4,701.32	1,152.97	2,651.19	8,505.48
25.	राजस्थान राज्य मोटर गैराज	2	2	3	7	7	7	12	26	13.51	0.17	6.36	20.04
26.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	8	5	8	21	14	15	28	57	7.24	2.18	32.16	41.58
27.	राज्य उद्यम	1	1	1	3	1	1	2	4	0.07	0	40.42	40.49
28.	पर्यटन	10	2	5	17	17	17	19	53	18.13	78.06	0.63	96.82
29.	परिवहन एवं सड़क सुरक्षा	258	31	51	340	935	247	619	1,801	43.38	20.05	110.58	174.01
30.	जल संसाधन	562	92	33	687	1,959	642	192	2,793	2,118.14	783.04	2,333.29	5,234.47
	योग	4,190	705	591	5,486	15,779	4,486	4,280	24,545	35,326.41	9,018.97	23,071.62	67,417.00

परिशिष्ट-3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3; पृष्ठ 11)

संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना खनिजों का उत्खनन करने वाले खननपट्टों का विवरण

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा संख्या	खनिज	सीटीओ की अनुमत अवधि	सीटीओ के खनिजों के उत्खनन और निर्गमन की अवधि	सीटीओ के बिना उत्खनित खनिजों की मात्रा (मीट्रिक टन में)	रॉयल्टी की दर (₹ में)	नियम 28(2)(iv)(b) के अंतर्गत वसूली योग्य राशि (₹ लाख में)
1	स्नि अभियंता जैसलमेर	7/2003	जिप्सम	01/01/16 से 31/12/18	04/2019 से 01/2023	2,76,074.31	160	4,417.19
2	सहायक स्नि अभियंता टोंक	45/2001	मेसनरी स्टोन	01/06/15 से 31/05/18	06/2018 से 09/2018	59,248.62	28	165.90
3	स्नि अभियंता बीकानेर	10/1992	बॉल क्ले	24/10/17 से 30/09/22 एवं 15/05/23 से 31/3/25	10/22 से 4/23	15,613.63	75	117.10
4		21/2004	बॉल क्ले	01/08/15 से 31/07/18	08/18 से 07/19	19,480.00	60	116.88
5		07/1998	बॉल क्ले	01/11/15 से 31/10/18 & 20/12/22 से 30/11/27	08/19 से 10/23	84,600.00	75	634.50
6		16/2004	फायर क्ले	01/09/15 से 31/08/18	11/18 से 07/19	14,481.00	60	86.89
					08/19 से 11/22	74,524.00	75	558.93
					08/19 से 11/23	1,30,645.00	80	1,045.16
					04/19 से 07/19	8,160.00	70	57.12
			बॉल क्ले	01/09/15 से 31/08/18	08/19 से 10/20	400.74	75	3.01
			रेड ऑकर	01/09/15 से 31/08/18	09/18 से 07/19	19,313.33	60	115.88
					09/21 से 11/23	26,060.00	45	117.27
					09/18 से 08/21	1,72,005.00	32	550.42
7		01/2005	बॉल क्ले	01/01/16 से 31/12/18	01/19 से 07/19	3,100.00	60	18.60
					08/19 से 05/23	13,815.00	75	103.61
8		05/2003	बॉल क्ले	01/04/15 से 31/03/18	04/18 से 07/19	77,711.00	60	466.27
					08/19 से 12/23	1,68,322.00	75	1,262.41
9		9/1993	बॉल क्ले	01/09/15 से 31/08/18	09/18 से 07/19	86,100.00	60	516.60
					08/19 से 08/23	3,92,248.00	75	2,941.86
10		7/1996	बॉल क्ले	01/08/15 से 27/05/18	6/18 से 07/19	39,739.00	60	238.43

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा संख्या	खनिज	सीटीओ की अनुमत अवधि	सीटीओ के बिना खनिजों के उत्खनन और निर्गमन की अवधि	सीटीओ के बिना उत्खनित खनिजों की मात्रा (मीट्रिक टन में)	रॉयल्टी की दर (₹ में)	नियम 28(2)(iv)(ब) के अंतर्गत वसूली योग्य राशि (₹ लाख में)
					08/19 से 06/23	3,29,608.00	75	2,472.06
11		54/2013	बॉल क्ले	13/03/18 से 28/02/23	03/23	549.75	75	4.12
12		40/2013	जिप्सम	09/06/16 से 31/05/21 एवं 05/07/22 से 30/06/27	06/2021 से 04/2022	49,870.00	160	797.92
13		25/2012	बॉल क्ले	23/12/16 से 30/04/21	05/2021 से 03/2023	54,345.00	75	407.59
			सिलिका सैंड		04/2022 से 03/2023	12,935.00	90	116.42
14		2/2002	जिप्सम	01/06/17 से 31/05/22	06/2022 से 01/2024	10,798.00	160	172.77
15	स्नि अभियंता, भरतपुर	724/2003	मेसनरी स्टोन	01/05/13 से 30/04/16 एवं 01/10/21 से 30/09/26	05/2016 से 09/2021	1,60,921.00	35	563.22
16	सहायक स्नि अभियंता, सलूम्बर	1/2003	डोलोमाइट	01/05/17 से 30/04/22	01/05/22 से 31/03/24	12,830.00	130	166.79
			सोप स्टोन		01/05/22 से 31/03/24	6,550.00	450	294.75
17		102/1974	सोप स्टोन	01/09/15 से 31/08/18	09/2018 से 07/19	635.17	75	4.76
					08/2019 से 12/20	904.15	100	9.04
				योग		23,21,586.70		18,543.47

परिशिष्ट-4

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3; पृष्ठ 12)

उन खनन पट्टों जिनमें पट्टाधारकों द्वारा सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन किया गया, का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा संख्या	खनिज	सीटीओ की अनुमत अवधि	उत्पादन अवधि	सीटीओ में अनुमत मात्रा प्रति वर्ष (मीट्रिक टन में)	उत्खनन की मात्रा (मीट्रिक टन में)	अतिरिक्त मात्रा (मीट्रिक टन में)	सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा (प्रतिशत में)	अधिशुल्क की दर (₹ में)	वसूली राशि (₹ करोड़ में)	योग्य
1	स्नि अभियंता नागौर	172/2013	चाइना क्ले	23/05/17 से 30/04/22	05/18 से 04/19	30,883.00	37,801.00	6,918.00	22.4	50	0.07	
2		110/2007	चाइना क्ले	30/10/17 से 30/9/22	05/21 से 04/22	30,883.00	38,968.00	8,085.00	26.18	65	0.53	
3		13/2018	चाइना क्ले	01/07/18 से 30/6/23	10/21 से 09/22	40,000.00	42,500.00	2,500.00	6.25	65	0.02	
4		8/2013	चाइना क्ले	27/6/17 से 31/05/22	07/21 से 06/22	19,757.00	24,300.00	4,543.00	22.99	65	0.06	
5	स्नि अभियंता बिजोलिया	8/2005	चाइना क्ले	01/11/17 से 31/10/22	06/19 से 05/20	40,000.00	69,800.00	29,800.00	74.50	50	1.49	
6		1/1993	चाइना क्ले रेड ऑकर	20/5/17 से 17/02/20 एवं 18/2/20 से 31/01/25	11/17 से 10/18 11/19 से 10/20 05/19 से 04/20 05/19 से 04/20	40,000.00 36,099.00 -	50,800.00 63,560.00 200.00	10,800.00 27,461.00 200.00	27.00 76.62 100	65 65 32	1.78 0.01	
7	स्नि अभियंता, बाइमेर	79/1995	मेसनरी स्टोन	04/06/18 से 31/03/22 एवं 01/04/22 से 31/03/27	06/21 से 05/22	20,512.79	26,909.42	6,396.63	31	35	0.22	
8		89/08	मेसनरी स्टोन	01/10/21 से 30/09/26	10/21 से 9/22	45,000.00	56,000.00	11,000.00	24	35	0.08	
9		173/08	मेसनरी स्टोन	01/11/18 से 31/10/23	11/19 से 10/20	40,000.00	49,643.40	9,643.35	24	28	0.05	

क्र.स.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा संख्या	खनिज	सीटीओ की अनुमत अवधि	उत्पादन अवधि	सीटीओ में अनुमत मात्रा प्रति वर्ष (मीट्रिक टन में)	उत्खनन की मात्रा (मीट्रिक टन में)	अतिरिक्त मात्रा (मीट्रिक टन में)	सीटीओ में अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा (प्रतिशत में)	अधिशुल्क की दर (₹ में)	वसूली राशि (₹ करोड़ में)
10		157/07	मेसनरी स्टोन	21/03/17 से 28/02/22	3/19 से 2/20	56,937.00	61,086.00	4,149.00	8	28	0.01
11	सहायक स्नि अभियंता, बालेसर	14/1999	रायोलाइट	01/06/16 से 31/05/19	6/17 से 5/18 6/18 से 5/19	5,000.00 5,000.00	7,229.00 11,721.00	2,229.00 6,721.00	45 134.42	28 28	0.06 0.19
12	स्नि अभियंता, बीकानेर	56/2000	लाइम स्टोन	01/05/16 से 30/04/19 एवं 01/05/19 से 30/05/24	05/18 से 04/19	1,00,000.00	1,02,390.89	2,390.89	2.39	100	0.02
13		48/2012	बॉल क्ले	01/05/16 से 30/04/21	05/18 से 04/19	25,000.00	27,680.00	2,680.00	10.72	60	0.03
14		32/2013	बॉल क्ले	01/07/17 से 30/06/22	07/18 से 06/19	30,000.00	34,375.00	4,375.00	14.6	60	0.05
15		179/2011	बॉल क्ले	01/05/19 से 30/04/24	05/21 से 04/22	1,00,000.00	1,04,100.00	4100.00	4.1	75	0.03
16	स्नि अभियंता, भरतपुर	134/03	मेसनरी स्टोन	19/01/21 से 31/12/25	01/22 से 12/22	1,34,395.00	1,61,435.00	27,040.00	20	44	0.24
17	सहायक स्नि अभियंता, झालावाड	29/2013	लाइम स्टोन (इमारती)	13/07/17 से 30/06/22	07/18 से 06/19	1,50,000.00	1,81,707.00	31,707.00	21	115	0.73
							11,60,096.29	2,16,837.87			7.29

परिशिष्ट-5

(संदर्भ अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 13)

उन खनन पट्टों का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र जिनमें पट्टाक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया जबकि पट्टाधारकों द्वारा खनना/ई-खनना का दुरुपयोग करते हुए पट्टाक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से खनिज का प्रेषण किया गया

क्र.सं	कार्यालय का नाम	वर्तमान में कुल खनन पट्टों की संख्या	चयनित खनन पट्टों की संख्या	पट्टा संख्या	खनिज का नाम	अवधि	दुरुपयोग किये गये ई-खननाओं की संख्या	निर्गमित मात्रा (मीट्रिक टन में)	अधिष्ठाक की दर (₹ में)	वसूलनीय राशि (₹ लाख में)
1	स्नि अभियंता नागौर	684	50	195/1997	चूना पत्थर (जलाने हेतु)	18/10/2017 से 12/09/2021	13,574	1,71,270.00	120	2,055.24
2	स्नि अभियंता बिजोलिया	20	20	10/14	चाइना क्ले	13/09/2021 से 09/06/2022	8,670	99,623.00	145	1,444.53
3	स्नि अभियंता जैसलमेर	439	50	176/08	चूना पत्थर	22/08/2019 से 18/12/2022	21	817.00	65	5.31
				151/09	चूना पत्थर	18/10/2017 से 12/09/2021	120	2,507.00	120	30.08
						13/09/2021 से 03/12/2022	50	817.00	145	11.85
						18/10/2017 से 12/09/2021	130	2,055.00	120	24.66
						13/09/2021 से 3/12/2022	33	602.00	145	8.73
4	सहायक स्नि अभियंता बालेसर	140	50	100/1991	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	259	1,877.00	100	18.77
				115/1991	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	93	615.00	100	6.15
				4/2012	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	18	359.00	28	1.01
5	स्नि अभियंता अलवर	261	50	19/1995	मेसनरी स्टोन	13/09/2021 से 6/12/2022	1,706	28,343.00	35	99.20
						18/10/2017 से 12/09/2021	9,024	1,80,920.00	35	633.22
6	स्नि अभियंता चूरू	173	50	27/2013	मेसनरी स्टोन	13/09/2021 से 15/12/2022	34	615.00	44	2.71
						15/02/2020 से 12/09/2021	10,600	1,58,567.00	28	443.99
						13/09/2021 से 06/09/2023	7,267	1,00,377.00	35	351.32
7	स्नि अभियंता बीकानेर	375	50	31/2010	बजरी, ग्रेवल	1/4/2018 से 12/09/2021	109	2,124.14	35	7.43
				9/1981	बॉल क्ले	1/4/2018 से 21/08/2019	13	392.00	60	2.35

क्र.सं	कार्यालय का नाम	वर्तमान में कुल खनन पट्टों की संख्या	चयनित खनन पट्टों की संख्या	पट्टा संख्या	खनिज का नाम	अवधि	दुरुपयोग किये गये ई-रवन्नाओं की संख्या	निर्गमित मात्रा (मीट्रिक टन में)	अधिशुल्क की दर (₹ में)	वसूलनीय राशि (₹ लाख में)
8	सुनि अभियंता धौलपुर	112	50	37/2010	बॉल क्ले	1/4/2018 से 21/08/2019	191	7,228.00	60	43.37
				11/1993	फायर क्ले	22/08/19 से 31/03/2023	632	26,403.00	75	198.02
						1/4/2018 से 21/08/2019	50	2,015.00	70	14.10
					बॉल क्ले	22/08/19 से 31/03/2023	18	694.00	80	5.55
						1/4/2018 से 21/08/2019	4,193	152,788.00	60	916.73
				29/2010	ऑकर	22/08/2019 से 31/03/2023	3,013	1,01,761.00	75	763.21
						22/08/2019 से 31/03/2023	2,995	1,14,721.00	32	367.11
					बजरी	1/4/2018 से 6/12/2021	5,783	1,31,518.00	35	460.31
				2/1992	जिप्सम	18/10/2017 से 21/08/2019	13,296	4,21,794.00	125	5,272.43
						22/08/2019 से 14/10/2023	790	27,583.00	160	441.33
					बॉल क्ले	18/10/2017 से 21/08/2019	2,049	66,281.00	60	397.69
						22/08/2019 से 7/12/2023	1,463	54,322.00	75	407.42
				32/2014	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	1,352	32,252.00	155	499.91
				51/2006	सैंड स्टोन	13/09/2021 से 15/02/2022	122	3,058.00	200	61.16
				7/14	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	685	15,394.00	155	238.61
						13/09/2021 से 26/6/2022	38	913.00	200	18.26
				29/2004	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	331	8,293.00	155	128.54
						13/09/2021 से 2/11/2022	239	4,074.00	200	81.48
				10/99	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	383	7,057.00	155	109.38
				17/2002	मेसनरी स्टोन	13/09/2021 से 26/6/2022	89	2,168.00	200	43.36
						18/10/2017 से 12/09/2021	257	1,078.00	28	3.02
				7/1996	मेसनरी स्टोन	13/09/2021 से 2/11/2022	165	462.00	35	1.62
				33/2004	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	78	398.00	28	1.11
						13/09/2021 से 2/11/2022	305	834.00	35	2.92
						18/10/2017 से 12/09/2021	420	1,395.00	28	3.91
						18/10/2017 से 12/09/21	1,655	37,753.00	155	585.17

क्र.सं	कार्यालय का नाम	वर्तमान में कुल खनन पट्टों की संख्या	चयनित खनन पट्टों की संख्या	पट्टा संख्या	खनिज का नाम	अवधि	दुरुपयोग किये गये ई-रवन्नाओं की संख्या	निर्गमित मात्रा (मीट्रिक टन में)	अधिशुल्क की दर (₹ में)	वसूलनीय राशि (₹ लाख में)
9	स्नि अभियंता भरतपुर	406	50			13/09/2021 से 26/06/2022	293	7,060.00	200	141.20
				5/2001	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	145	539.00	28	1.51
				24/2003	मेसनरी स्टोन	13/09/2021 से 2/11/2022	231	652.00	35	2.28
				56/2006	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	456	1,473.00	28	4.12
						13/09/2021 से 2/11/2022	167	472.00	35	1.65
						18/10/2017 से 12/09/2021	649	14,372.00	155	222.77
						13/09/2021 से 15/2/2022	53	1,264.00	200	25.28
				57/2005	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	388	8,618.00	155	133.58
				33/2008	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	292	5,298.00	155	82.12
				31/2008	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	355	6,779.00	155	105.07
10	स्नि अभियंता झुंगरपुर	173	50	19/2009	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	723	10,325.00	155	160.04
						13/09/2021 से 15/2/2022	110	1,947.00	200	38.94
				29/1989	सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	683	13,495.00	155	209.17
				488/02	मेसनरी स्टोन	13/02/2020 से 12/09/2021	457	6,868.00	35	24.04
						13/09/2021 से 29/12/2022	2,163	52,829.00	44	232.45
				212/05	मेसनरी स्टोन	13/9/2021 से 29/12/2022	1,587	51,812.00	44	227.97
				100/11	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/9/2021	1,514	27,811.00	35	97.34
						13/09/2021 से 29/12/2022	1	16.00	44	0.07
				234/08	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 13/02/2020	429	8,703.00	35	30.46
				15/1982	सोप स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	2,226	57,628.00	75	432.21
11	सहायक स्नि अभियंता झुंगरपुर					13/09/2021 से 17/11/2022	590	17,542.00	100	175.42
12	सहायक स्नि अभियंता झालावाड़					दिसम्बर 2022 में प्रारंभिक स्टॉक	मासिक विवरणी	7,462.00	100	74.62
11	सहायक स्नि अभियंता बारां	50	50	56A/2005	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	1,485	26,387.00	28	73.88
12	सहायक स्नि अभियंता झालावाड़	151	50	13/2002	बैंटोनाइट	18/10/2017 से 12/09/2021	274	10,632.00	145	154.16
						13/09/2021 से 08/06/2022	8	203.00	195	3.96

क्र.सं	कार्यालय का नाम	वर्तमान में कुल खनन पट्टों की संख्या	चयनित खनन पट्टों की संख्या	पट्टा संख्या	खनिज का नाम	अवधि	दुरुपयोग किये गये ई-रवन्नाओं की संख्या	निर्गमित मात्रा (मीट्रिक टन में)	अधिशुल्क की दर (₹ में)	वसूलनीय राशि (₹ लाख में)
				2/2007	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	116	1,866.00	28	5.22
				33/2007	मेसनरी स्टोन	13/09/2021 से 07/01/2023	1,867	24,471.00	35	85.65
				48/2004	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	169	2,782.00	28	7.79
					मेसनरी स्टोन	13/09/2021 से 14/01/2024	1,182	18,914.00	35	66.20
					सैंड स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	922	13,684.00	28	38.32
					मेसनरी स्टोन		1	35.00	100	0.35
					सैंड स्टोन	13/09/2021 से 08/06/2022	104	1,777.00	35	6.22
				222/1990	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	99	1,637.00	130	21.28
					मेसनरी स्टोन	13/09/2021 से 31/12/2022	43	1,416.00	28	3.96
				223/1990	मेसनरी स्टोन	18/10/2017 से 12/09/2021	33	1,256.00	35	4.40
					मेसनरी स्टोन	13/09/2021 से 31/12/2022	18	626.00	28	1.75
							17	709.00	35	2.48
	योग	2984	570	44			1,12,163	23,83,477.00		19,110.20

परिशिष्ट-6

(संदर्भ अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 13)

उन खनन पट्टों का विवरण जिनके आस पास के क्षेत्र में व गैप ऐरिया में अवैध खनन पाया गया

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा संख्या
1	स्नि अभियंता चूरू	57A/2000
2	स्नि अभियंता बीकानेर	24/2009
3	स्नि अभियंता धौलपुर	44/2006
4	स्नि अभियंता धौलपुर	43/2006
5	सहायक स्नि अभियंता, बारां	1A/1996

परिशिष्ट-7

(संदर्भ अनुच्छेद 2.5; पृष्ठ 15)

3 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि में जारी ई-रवन्ना/ट्रांज़िट पास से संबंधित वसूलनीय प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टों व एसटीपी के लिये जारी ई-रवन्नाओं की संख्या	पंजीकृत डीलर्स हेतु जारी ई-परिवहन पास की संख्या	कुल ई-रवन्ना/परिवहन पास	जारी वसूलनीय शुल्क	प्रसंस्करण	वसूली गई राशि	शेष राशि
1	स्नि अभियंता नागौर	10,36,073	2,92,747	13,28,820	132.88		60.30	72.58
2	सहायक स्नि अभियंता हनुमानगढ़	19,737	8,077	27,814	2.78		1.76	1.02
3	स्नि अभियंता बिजोलिया	1,17,178	46,034	1,63,212	16.32		15.50	0.82
4	स्नि अभियंता बाड़मेर	4,85,666	1,80,111	6,65,777	66.58		42.24	24.34
5	स्नि अभियंता जैसलमेर	1,39,160	13,601	1,52,761	15.28		15.07	0.21
6	सहायक स्नि अभियंता बालेसर	1,13,644	94,387	2,08,031	20.80		0.21	20.59
7	स्नि अभियंता अलवर	3,85,805	1,31,120	5,16,925	51.69		42.33	9.36
8	स्नि अभियंता धौलपुर	37,924	21,685	59,609	5.96		5.48	0.48
9	सहायक स्नि अभियंता चूरू	5,69,903	2,49,497	8,19,400	81.94		75.38	6.56
10	स्नि अभियंता बीकानेर	5,06,573	87,847	5,94,420	59.44		37.08	22.36
11	स्नि अभियंता भरतपुर	10,57,806	3,23,585	13,81,391	138.14		86.90	51.24
12	सहायक स्नि अभियंता झालावाड़	2,10,200	60,706	2,70,906	27.09		13.08	14.01
13	सहायक स्नि अभियंता सलूम्बर	12,244	3,705	15,949	1.59		1.59	0.00
14	सहायक स्नि अभियंता टोंक	4,69,588	2,40,569	7,10,157	71.02		61.15	9.87
15	स्नि अभियंता डूंगरपुर	42,309	14,377	56,686	5.67		4.91	0.76
	योग	52,03,810	17,68,048	69,71,858	697.18		462.98	234.20

(रुलाख में)

परिशिष्ट-8

(संदर्भ अनुच्छेद 2.6; पृष्ठ 16)

पट्टेधारकों द्वारा जमा नहीं करायी गई प्रीमियम राशि का विवरण

क्र.सं	खनन पट्टा संख्या	पट्टा धारक का नाम	पट्टे की अवधि	खनिज	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	खातेदारी या सहमति	आरोपित की जाने वाली प्रीमियम राशि	आरोपित की गई प्रीमियम राशि	31.3.23 तक जमा की जाने वाली राशि	31.3.23 तक जमा राशि	कम जमा कराई गई राशि	जून 2025 तक वसूल की गई राशि	बकाया राशि
1	37/2018	बंशीधर जाट	14/02/2020 से 50 वर्ष	ग्रैनाइट	1.9889	स्वातेदारी	5.97	5.97	4.77	3.58	1.19	1.19	0
2	82/2021	इंफिनिटी स्टोन	19/04/2022 से 50 वर्ष	ग्रैनाइट	1.0121	सहमति	6.07	3.04	1.22	0.61	0.61	0.61	0
3	4881/2019	नीलम बुगलिया	13/01/2020 से 50 वर्ष	ग्रैनाइट	1	स्वातेदारी	3.00	3.00	2.40	1.20	1.20	1.20	0
4	1/2019	प्राकृतिक ग्रैनाइट	19/12/2019 से 50 वर्ष	ग्रैनाइट	1.1042	स्वातेदारी	3.31	3.31	2.65	1.51	1.14	1.14	0
5	22/2018	मंगल राम बुनकर	3/3/2020 से 50 वर्ष	ग्रैनाइट	1	स्वातेदारी	3.00	3.00	2.40	0	2.40	0	2.40
6	12/2019	गौरव ग्रैनाइट	4/8/2021 से 50 वर्ष	ग्रैनाइट	1.9525	स्वातेदारी	5.86	5.86	2.34	0	2.34	0	2.34
7	13/2018	विनायक मिनरल्स	10/2/2020 से 50 वर्ष	ग्रैनाइट	1.1623	स्वातेदारी	3.49	3.49	2.79	0	2.79	2.79	0
8	46/2019	विनोद कुमार	4/9/2020 से 50 वर्ष	ग्रैनाइट	1.6778	स्वातेदारी	5.03	5.03	3.02	1.01	2.01	2.01	0
9	83/2021	इंफिनिटी स्टोन	19/04/2022 से 50 वर्ष	ग्रैनाइट	1.09	सहमति	6.52	3.26	1.30	0.65	0.65	0.65	0
योग							42.25	35.96	22.89	8.56	14.33	9.59	4.74

परिशिष्ट-9

(संदर्भ अनुच्छेद 2.10; पृष्ठ 21)

विलंब शुल्क की कम मांग का विवरण

क्र.सं.	खनन पट्टा सं.	स्थिर भाटक (₹)	लेटर ऑफ़ इंटेंट की दिनांक	मांग आदेश की दिनांक	पट्टा स्वीकृति दिनांक	पट्टा निष्पादन दिनांक	मांग किया गया विलम्ब शुल्क			लागू ब्याज की दर (%)	देय विलम्ब शुल्क	कम मांग
							अवधि	माह	राशि			
1	1/ 2013	2165820	03/12/2014	20/10/2022	28/03/2023	29/03/2023	03/12/15 से 28/02/17	15	9.75	6	19.49	9.74
							01/03/17 से 09/09/22	67	145.11	10	145.11	0
							10/09/22 से 30/03/23	7	0	10	15.16	15.16
									154.86		179.76	24.90

परिशिष्ट-10

(संदर्भ अनुच्छेद 2.11(i): पृष्ठ 23)

खनन पट्टों का विवरण जहाँ खनन पट्टाधारकों ने बिना अनुमोदित खनन योजना के उत्खनन किया

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा सं.	खनन पट्टाधारक का नाम	खनिज	पूर्व अनुमोदित खनन योजना की अवधि	आगामी अनुमोदित खनन योजना की अवधि	बिना अनुमोदित खनन योजना की अवधि	बिना अनुमोदित खनन अवधि में उत्खनन की मात्रा (मीट्रिक टन)	खनन योजना के बिना अतिरिक्त मात्रा का प्रतिशत	अधिशुल्क की दर (₹ में)	10 गुना वसूलीय राशि	खनन पट्टावार कुल वसूलीय राशि
1	सहायक स्नि अभियंता बालेसर	23/2002	मैसर्स भट्टर & कंपनी	मार्बल	29/5/2015 से 28/5/2018	09/6/2022 से 08/06/2027	06/2018 से 5/2022	865	100	240	20.76	20.76
		1600/2003	अशोक कुमार	मेसेनरी पत्थर	4/6/2015 से 3/6/2020	29/8/2023 से 28/8/2028	06/2020 से 3/2021	1,020	100	28	2.86	9.21
		9/1996	नारायण राम	मेसेनरी पत्थर	11/03/2015 से 10/3/2020	11/3/22 से 10/3/27	04/2021 से 3/2023	1,815	100	35	6.35	
		3/2013	पूणी देवी	मेसेनरी पत्थर	28/3/2014 से 30/06/2020	वर्ष 2020-21 lapsed	07/2020 से 1/2022	2,294	100	28	6.42	6.42
2	स्नि अभियंता अलवर	63/2007	गिरीश दत्त	मेसेनरी पत्थर	11/4/2014 से 10/04/2019	16/12/2020 से 15/12/2025	5/2019 से 11/2020	3,963	100	28	11.1	11.1
		62/2007	गिरीश दत्त	मेसेनरी पत्थर	11/4/2014 से 10/4/2019	16/12/2020 से 15/12/2025	5/2019 से 11/2020	28,700	100	35	100.45	100.45
								24,650	100	35	86.28	86.28

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा सं.	खनन पट्टाधारक का नाम	खनिज	पूर्व अनुमोदित खनन योजना की अवधि	आगामी अनुमोदित खनन योजना की अवधि	बिना अनुमोदित खनन योजना की अवधि	बिना अनुमोदित खनन योजना में उत्खनन की मात्रा (मीट्रिक टन)	खनन योजना के बिना अतिरिक्त मात्रा का प्रतिशत	अधिशुल्क की दर (₹ में)	10 गुना वसूलीय राशि	खनन पट्टावार कुल वसूलीय राशि
3	स्नि अभियंता धोलपुर	22/2007	अमित गर्ग	बलुआ पत्थर	18/12/2013 से 17/12/2018	30/6/2021 से 29/6/2026	1/2019 से 06/2021	14,874	100	155	230.55	230.55
4	स्नि अभियंता भरतपुर	403/02	इशाक मुहम्मद	मेसेनरी पत्थर	14/12/2016 से 13/12/2021	-	1/2022 से 3/2023	56,497	100	44	248.59	248.59
		348/08	सुमेर चंद जैन	मेसेनरी पत्थर	23/09/14 से 28/9/19	-	10/2019 से 3/2021	32,440	100	35	113.54	1001.99
							4/2022 से 3/2023	2,01,920	100	44	888.45	
		393/05	रवि कुमार	मेसेनरी पत्थर	30/6/2016 से 29/6/2021	-	07/2021 से 3/2022	56,746	100	35	198.61	198.61
		121/08	द्वारिका शर्मा	मेसेनरी पत्थर	25/5/2016 से 24/5/2021	-	06/2021 से 3/2023	8,348	100	35	29.22	29.22
		9/2003	ब्रजवासी स्टोन ग्रेट	मेसेनरी पत्थर	29/9/2016 से 28/9/2021	-	10/2021 से 3/2022	718	100	35	2.51	424.24
							4/2022 से 3/2023	95,848	100	44	421.73	
		594/03	दत्ता राम	मेसेनरी पत्थर	08/06/2015 से 07/06/2020	9/5/2022 से 8/5/2027	07/2020 से 8/2021	98,102	100	35	343.36	395.66
							09/2021 से 4/2022	11,887	100	44	52.3	
		129/09	संता राम	मेसेनरी पत्थर	22/6/15 से 21/6/2020	4/10/2021 से 3/10/2026	07/2020 से 9/2021	1,09,011	100	35	381.54	381.54

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा सं.	खनन पट्टाधारक का नाम	खनिज	पूर्व अनुमोदित खनन योजना की अवधि	आगामी अनुमोदित खनन योजना की अवधि	बिना अनुमोदित खनन योजना की अवधि	बिना अनुमोदित खनन अवधि में उत्खनन की मात्रा (मीट्रिक टन)	खनन योजना के बिना अतिरिक्त मात्रा का प्रतिशत	अधिशुल्क की दर (₹ में)	10 गुना वसूलीय राशि	खनन पट्टावार कुल वसूलीय राशि
5	सहायक स्नि अभियंता बारां	29\2006	रामचन्द्र दानोरिया	मेसेनरी पत्थर	17/7/2014 से 16/7/2019	12/4/2022 से 11/4/2027	08/2019 से 8/2021 09/2021 से 3/2022	1,000 50,000	100 100	28 35	2.8 175	177.8
				योग				8,00,698			3,322.42	3,322.41

परिशिष्ट-11

(संदर्भ अनुच्छेद 2.11(ii); पृष्ठ 24)

खनन योजना/सरलीकृत खनन योजना में अनुमत मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन करने वाले पट्टाधारकों का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा सं.	पट्टा धारक का नाम	खनिज	अनुमोदित खनन योजना की अवधि	अनुमोदित दिनांक	अनुमोदित खनन योजना की अवधि	खनन योजना में अनुमत्य मात्रा (मीट्रिक टन)	उत्खनित मात्रा (मीट्रिक टन)	अतिरिक्त मात्रा (मीट्रिक टन)	खनन योजना से अतिरिक्त मात्रा का प्रतिशत	अधिशुल्क की दर (₹ में)	एक से 10 गुणा तक वसूलनीय राशि	पट्टावार कुल वसूलनीय राशि
1	स्नि अभियंता बाड़मेर	20190 0007076	सदा राम	बैंटोनाइट	26/6/2019 से 25/06/2024	26/06/2019	7/20-6/21 (द्वितीय वर्ष)	27,142	42,700	15,558	57.32	145	225.59	268.14
							7/22-6/23 (चतुर्थ वर्ष)	43,691	54,600	10,909	24.97	195	42.55	
		02/ 2019	विरासत एसोसिएट	मेसेनरी पत्थर	17/7/2019 से 16/07/2024	17/07/2019	8/21-7/22 (तृतीय वर्ष)	93,366	1,01,100	7,734	8.28	35	2.71	2.71
2	सहायक स्नि अभियंता बालेसर	42/ 2003	मैसर्स लतियल उद्योग	मेसेनरी पत्थर	04/3/2015 से 03/03/2020	04/03/2015	3/15-2/16 (प्रथम वर्ष)	1,745	2,958	1,213	69.51	23	2.79	76.81
							3/16-2/17 (द्वितीय वर्ष)	2,583	4,409	1,826	70.69	23	4.2	
							3/17-2/18 (तृतीय वर्ष)	2,592	3,779	1,187	45.79	23	2.73	
							3/18-2/19 (चतुर्थ वर्ष)	2,938	8,765	5,827	198.33	28	16.32	

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा सं.	पट्टा धारक का नाम	खनिज	अनुमोदित खनन योजना की अवधि	अनुमोदित दिनांक	अनुमोदित खनन योजना की अवधि	उत्खनित मात्रा (मीट्रिक टन)	अतिरिक्त मात्रा (मीट्रिक टन)	खनन से अतिरिक्त मात्रा का प्रतिशत	अधिशुल्क की दर (₹ में)	एक से 10 गुणा तक वसूलनीय राशि	पट्टावार कुल वसूलनीय राशि
		3/2015	मैसर्स सिद्धी विनायक	मेसेनरी पत्थर	10/12/2015 से 9/12/2020	10/12/2015	12/17-11/18 (तृतीय वर्ष)	46,710	22,074	89.60	23	50.77	
3	स्नि अभियंता भरतपुर	393/2005	रवि कुमार	मेसेनरी पत्थर	30/06/2016 से 29/06/2021	30/06/2016	7/18 - 6/19 (तृतीय वर्ष)	69,122	26,372	61.69	35	92.3	92.3
4	सहायक स्नि अभियंता चुरू	31/2007	मैसर्स कुलदीप सिंह	मेसेनरी पत्थर	26/02/2018 से 25/02/2023	26/02/2018	3/20-2/21 (तृतीय वर्ष)	1,97,627	21,472	12.19	28	12.02	33.23
5	स्नि अभियंता बीकानेर	001/2007	मैसर्स नरेन्द्र कुमार	बॉल ब्ले ,फायर ब्ले	20/07/2017 से 19/07/2022	20/07/2017	8/18-7/19 (द्वितीय वर्ष)	79,138	21,250	36.71	60	127.5	127.5
6	सहायक स्नि अभियंता बारां	4A/2002	हिममत सिंह	मेसेनरी पत्थर	17/02/2014 से 16/02/2019	17/02/2014	3/14-2/15 (प्रथम वर्ष)	71,857	51,179	247.50	23	117.71	254.00
							3/15-2/16 (द्वितीय वर्ष)	71,932	35,044	95.00	23	80.6	
							3/16-2/17 (तृतीय वर्ष)	71,965	21,961	43.92	23	50.51	
							3/17-02/18 (चतुर्थ वर्ष)	71,963	9,251	14.75	28	5.18	

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टा सं.	पट्टा धारक का नाम	खनिज	अनुमोदित खनन योजना की अवधि	अनुमोदित दिनांक	अनुमोदित खनन योजना की अवधि	उत्खनित मात्रा (मीट्रिक टन)	अतिरिक्त मात्रा (मीट्रिक टन)	खनन से अतिरिक्त मात्रा का प्रतिशत	अधिशुल्क की दर (₹ में)	एक से 10 गुणा तक वसूलनीय राशि	पट्टावार कुल वसूलनीय राशि
7	सहायक स्नि अभियंता झालावाड़	08/2015	गोल्डन स्टोन	चूना पत्थर (भवन)	19/08/2015 से 18/08/2020	19/08/2015	9/18-8/19 (चतुर्थ वर्ष)	1,62,879	4,572	2.89	115	5.26	376.58
					22/07/22 से 21/07/2027	22/07/2022	8/22-7/23 (प्रथम वर्ष)	90,275	26,523	41.60	140	371.32	
		02/2015	असिल स्नान	चूना पत्थर (भवन)	22/7/22 से 21/7/2027	22/07/2022	8/22-7/23 (प्रथम वर्ष)	1,03,800	50,675	95.39	140	709.45	709.45
					योग			14,69,611	3,72,504			1,940.72	1,940.72

परिशिष्ट-12

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.3; पृष्ठ 26)

आईओएमएस के मॉड्यूल्स का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	विशेषताएँ	कार्यक्षमता
1	उपयोगकर्ता पंजीकरण	वेबसाइट/वेब साफ्टवेयर पर उपयोगकर्ता पंजीकरण के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (जीयूआई) आवश्यक होगा।
2	उपयोगकर्ता प्रोफाइल	लॉग इन-के बाद उपयोगकर्ता प्रोफाइल प्रदर्शित करने के लिए जीयूआई आवश्यक होगा।
3	उपयोगकर्ता लॉगिन	वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए जीयूआई आवश्यक है।
4	उपयोगकर्ता लॉगआउट	वेबसाइट से लॉगआउट करने के लिए जीयूआई आवश्यक है।
5	वेबसाइट होम पेज	वेबसाइट के लिए होम पेज आवश्यक होगा।
6	मास्टर एंड्री	यह मॉड्यूल विभागों से संबंधित विभिन्न विवरणों को दर्ज/अद्यतन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन विवरणों को दर्ज करने के लिए मॉड्यूल निम्नलिखित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (जीयूआई) का उपभोग करता है: • रेंज मास्टर : रेंज विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • जिला मास्टर : जिला विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • विधान सभा मास्टर : विधान सभा विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • पंचायत समिति मास्टर : पंचायत समिति विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • ग्राम पंचायत मास्टर : ग्राम पंचायत विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • संस्थान प्रकार : संस्थान प्रकार विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • संस्थान मास्टर : संस्थान विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • दवा प्रकार मास्टर : दवा प्रकार विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • दवा फॉर्म मास्टर : दवा फॉर्म विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • दवा मास्टर : दवा विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • आपूर्तिकर्ता मास्टर : आपूर्तिकर्ता विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई • उपयोग मास्टर : उपयोगकर्ता विवरण दर्ज/अपडेट करने के लिए जीयूआई
7	दर अनुबंध मॉड्यूल	विभाग प्रत्येक दो वर्ष (या किसी निर्दिष्ट अवधि) में सभी प्रकार की दवाइयों के लिए निविदा जारी करता है। निविदा के आधार पर सफल आपूर्तिकर्ता को दर अनुबंध प्रदान किया जाता है। दर अनुबंध की अवधि दो वर्ष के लिए मान्य होती है। यह मॉड्यूल दवा दर अनुबंध से संबंधित नीचे दिए गए सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है।

क्रम संख्या	विशेषताएँ	कार्यक्षमता
		• दर अनुबंध जनरेशन: इस प्रक्रिया का उपयोग सभी दवाओं का दर अनुबंध तैयार करने के लिए किया जाता है। • दर अनुबंध दवा मैपिंग: इस जीयूआई का उपयोग वर्तमान दर अनुबंध के साथ सभी दवाओं को उनके दर विवरण सहित मैपिंग करने के लिए किया जाता है। • दर अनुबंध आपूर्तिकर्ता एवं दवा मैपिंग: इस जीयूआई का उपयोग दवाओं को संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के साथ मैपिंग करने के लिए किया जाता है।
		मांग/ इंडेंटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एच मुख्यालय सभी जिला मुख्यालयों से दवाओं की मांग एकत्रित करता है। यह मांग वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में एकत्र की जाती है। मांग प्रक्रिया प्रत्येक तिमाही या समय-समय पर खोली जाती है। प्रक्रिया खुलने के बाद जिला कार्यालय अपनी मांग दर्ज करता है। मांग प्राप्त होने के बाद, एचओ मांग को प्रोसेस करता है और समेकित रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद एचओ को मांग प्रक्रिया बंद करनी होती है। उपरोक्त प्रक्रिया तहसील कार्यालयों के लिए भी उपलब्ध है। तहसील कार्यालय अपनी वीएच/संस्था-वार मांग दर्ज कर सकते हैं। • मांग खुलना: यह जीयूआई मांग खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। मांग खुलते ही सभी संस्थान अपनी तिमाही आवश्यकता की मांग/इंडेंट तैयार कर सकते हैं। • मांग पुनः खोलने के लिए निवेदन: यह जीयूआई मांग बंद होने के बाद निश्चित अवधि के लिए उसे पुनः खोलने के अनुरोध के लिए उपयोग किया जाता है। • मांग प्रविष्टि: यह जीयूआई तिमाही/आवधिक आवश्यकता की मांग/इंडेंट प्रविष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है। • मांग सत्यापित: यह जीयूआई मांग प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त दवाओं की मांग को संकलित और सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। • मांग प्रस्तुत: यह जीयूआई जिला कार्यालय द्वारा सत्यापित मांग को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मांग अनुरोध की अंतिम प्रक्रिया है। • मांग बंद: यह जीयूआई खुली हुई मांग को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। मांग बंद होने के बाद कोई अतिरिक्त आवश्यकता स्वीकार नहीं की जाएगी। • मांग संकलित: यह जीयूआई रेंज कार्यालय से प्राप्त सभी मांगों को संकलित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
		संकलित मांगों के आधार पर मुख्यालय योग्य आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश जारी करता है। यह मॉड्यूल निम्नलिखित प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है: • आदेश जारी करना: यह जीयूआई क्रय आदेश के अनुसार क्रय आदेश जारी करने के लिए उपयोग किया जाता है। • आदेश प्रेषण प्रविष्टि: यह जीयूआई का उपयोग पूर्तिकर्तावार/एफओडी जिलावार स्वीड ऑर्डर के प्रेषण विवरण उत्पन्न करने और दर्ज करने के लिए किया जाता है। • कागजात अपलोड: यह जीयूआई हस्ताक्षरित क्रय आदेश की प्रति अपलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है।
9	स्वीड आदेश जनरेशन	
10	आदेश डिस्पेंच प्रक्रिया	क्रय आदेश जारी होने के बाद, आपूर्तिकर्ता को सामग्री संबंधित जिला कार्यालयों में भेजनी होती है। इस मॉड्यूल में आपूर्तिकर्ता को जिला-वार प्रेषण चालान/बिल की जानकारी दर्ज करनी होती है। • सामग्री प्रेषण प्रविष्टि: यह जीयूआई प्रत्येक क्रय आदेश के विरुद्ध दवाओं के प्रेषण विवरण दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है।

क्रम संख्या	विशेषताएँ	कार्यक्षमता
		• कागजात अपलोड: यह जीयूआईप्रत्येक बैच के चालान/बिल/जांच रिपोर्ट जैसे प्रेषण दस्तावेज अपलोड करने के लिए उपयोग होता है।
11	सामग्री प्राप्ति प्रक्रिया	जिला कार्यालय अपने लिए दर्ज किए गए प्रेषण विवरण को देख सकता है। इन विवरणों के आधार पर जिला कार्यालय को भौतिक रूप से प्राप्त दवाओं की प्रविष्टि करनी होती है। सभी स्वीकृत/सत्यापित दवाएं स्वचालित रूप से स्टॉक रजिस्टर में अद्यतन हो जाती हैं। • सामग्री प्राप्ति प्रविष्टि: यह जीयूआई सभी प्रेषित की गई सामग्री की प्राप्ति प्रविष्टि दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। • सामग्री अस्वीकृति: यह जीयूआई सामग्री अस्वीकृति का विवरण दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। • सामग्री वापसी: यह जीयूआई उपयोगकर्ता को सामग्री वापस करने की प्रक्रिया की प्रविष्टि करने की सुविधा प्रदान करता है। • सामग्री स्टॉक प्रविष्टि: यह जीयूआई स्टॉक रजिस्टर के विवरण दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह मॉड्यूल दवाओं के स्टॉक के प्रबंधन से संबंधित सभी चरणों का संचालन करता है। • प्रारम्भिक सामग्री स्टॉक प्रविष्टि: इस जीयूआई का उपयोग एप्लिकेशन में पहले रन के समय उपलब्ध प्रारम्भिक स्टॉक दर्ज करने के लिए किया जाता है। • सामग्री डीडिंसी को जारी करना: इस जीयूआई का उपयोग डीडिंसी द्वारा डीडिंसी को सामग्री जारी करने के लिए किया जाता है। • सामग्री प्राप्ति: इस जीयूआईका उपभोग डीडिंसी द्वारा जारी/हस्तांतरित की गई सामग्री की प्राप्ति दर्ज करने के लिए किया जाता है। • स्टॉक स्थानांतरण अनुरोध: इस जीयूआई का उपभोग किसी भी डीडिंसी द्वारा किसी संस्था (डीडीसी) को स्टॉक स्थानांतरण के लिए अनुरोध भेजने हेतु किया जाता है। • स्टॉक स्थानांतरण: इस जीयूआई का उपभोग डीडिंसी द्वारा भेजे गए स्टॉक ट्रांसफर अनुरोध के विरुद्ध स्टॉक स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है। स्टॉक स्थानांतरण निम्न के बीच हो सकता है: ■ डीडिंसी से डीडिंसी ■ डीडिंसी से डीडिंसी ■ डीडिंसी से डीडिंसी (और इसके विपरीत) • दवा निस्तारण (एक्सपायरी प्रक्रिया): इस जीयूआई का उपयोग स्टॉक में उपलब्ध सभी एक्सपायरी दवाओं को निस्तारित करने के लिए किया जाता है। • संस्थागत खपत: इस जीयूआई का उपभोग संस्थाओं द्वारा उपभोग की गई दवाओं की आवश्यक स्पष्ट प्रविष्टियाँ दर्ज करने के लिए किया जाता है। क्रय आदेश के अनुसार सामग्री प्राप्त होने के बाद, जिला मुख्यालय को आपूर्तिकर्ता के भुगतान की प्रक्रिया करनी होती है और उसकी अनुशंसा भेजनी होती है। जिला मुख्यालय से अनुशंसा प्राप्त होने पर निदेशालय अंतिम भुगतान को स्वीकृत करता है। • भुगतान अनुशंसा: यह जीयूआई प्रत्येक क्रय आदेश के माध्यम से प्राप्त सामग्री के विरुद्ध जिला मुख्यालय द्वारा भुगतान की अनुशंसा दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। • भुगतान सत्यापन: यह जीयूआई निदेशालय स्तर पर प्रत्येक विक्रेता के अनुशंसित भुगतान को सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
12	सामग्री स्टॉक प्रक्रिया	
13	भुगतान प्रक्रिया	

क्रम संख्या	विशेषताएँ	कार्यक्षमता
		• एलडी भुगतान प्रक्रिया: यह जीयूआई सामग्री की देर से आपूर्ति पर लगाए जाने वाले लिक्विडिटी डेमेज (<i>Liquidity Damage</i>) की प्रक्रिया करने के लिए उपयोग किया जाता है। • बजट प्लान हेड: यह जीयूआई आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने हेतु प्रत्येक बजट हेड की प्रविष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है। • भुगतान स्वीकृत प्रक्रिया: यह जीयूआई प्रत्येक विक्रेता के भुगतान को स्वीकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है। • ट्रेजरी प्रविष्टि: यह जीयूआई अंतिम भुगतान निपटान के लिए ट्रेजरी प्रविष्टि करने हेतु उपयोग किया जाता है। यह मॉड्यूल उपयोगकर्ता के निर्माण तथा उन्हें आवश्यक एक्सेस अधिकार (प्रिविलेज) प्रदान करने की प्रक्रिया का प्रबंधन करता है। • उपयोगकर्ता प्रोफाइल बनाना: यह जीयूआई उपयोगकर्ता प्रोफाइल बनाने के लिए उपभोग किया जाता है। यह मेन्यू केवल प्रशासक को दिखाई देता है। • उपयोगकर्ता अधिकार सौपना कर: यह जीयूआई प्रशासक द्वारा प्रत्येक उपयोगकर्ता की भूमिका/अधिकार (<i>Role/Rights</i>) बनाने, परिभाषित करने और संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित पूर्वनिर्धारित उपयोगकर्ता समूह प्रदान किए जाने होते हैं: • प्रशासकीय: केवल अधिकृत व्यक्तियों को पूर्ण एक्सेस होता है। प्रशासकीय वेबसाइट की सभी सामग्री देख सकता है। • निदेशालय स्तर उपयोगकर्ता: राज्य स्तर की भूमिका राज्य स्तर के विवरणों का प्रबंधन कर सकता है। • रेंज स्तर उपयोगकर्ता: रेंज और उससे नीचे के स्तर का विवरण देख सकता है। • जिला स्तर उपयोगकर्ता: अपने संबंधित जिले तथा उससे नीचे के स्तर के विवरण का प्रबंधन कर सकता है। • तहसील स्तर उपयोगकर्ता: अपने संबंधित तहसील तथा उससे नीचे के स्तर के विवरण का प्रबंधन कर सकता है। • वीएच/संस्थान स्तर उपयोगकर्ता: केवल अपने संस्थान से संबंधित विवरण प्रबंधित कर सकता है। • आपूर्तिकर्ता स्तर उपयोगकर्ता: केवल अपने से संबंधित विवरणों का प्रबंधन कर सकता है। एडमिन नीचे दी गई उप-श्रेणियों/अधिकारों के आधार पर उपरोक्त सभी स्तरों के उपयोगकर्ता को अधिकार बना और आवंटित कर सकता है: • डेटा प्रविष्टि की अनुमति (जोड़ना/संशोधित करना/हटाना/सत्यापित करना/अनुमोदन करना/देखना) • मेन्यू स्तर अधिकार
14	प्रशासक मॉड्यूल	
15	एमआईएस रिपोर्ट मॉड्यूल	यह मॉड्यूल विभिन्न प्रकार की एमआईएस रिपोर्ट प्रदान करके परियोजना की संपूर्ण प्रगति का विवरण उपलब्ध कराता है। निचे विभिन्न रिपोर्ट की सूची दी गई है: • दवा दर सूची • मांग सूची (रेंज/जिला/संस्था/दवा अनुसार) • दर सूची (दवा/शल्य सामग्री/विक्रेता अनुसार) • विक्रेता अनुसार क्रय आदेश

क्रम संख्या	विशेषताएँ	कार्यक्षमता
		• निष्पादित पीओ की सूची • लंबित पीओ की सूची • सामग्री प्राप्ति (विक्रेता/डीडी/पीओ अनुसार) • उपलब्ध स्टॉक (शल्य सामग्री/दवा/बैच/संस्था अनुसार) • भुगतान अनुशंसा नोट (जिला अनुसार/विक्रेता अनुसार) • भुगतान संकलन सूची (विक्रेता अनुसार) • भुगतान स्वीकृति नोटशीट • भुगतान स्वीकृति आदेश • सभी मास्टर्स की सूची • समेकित स्टॉक सूची (जिला/रेंज अनुसार) • स्वपत विवरण
16	एसएमएस मॉड्यूल	यह मॉड्यूल प्रक्रिया से संबंधित घटनाओं के आधार पर अंतिम उपभोगकर्ताओं/पूर्वनिर्धारित उपभोगकर्ताओं को एसएमएस भेजने के लिए उपभोग किया जाता है।
17	आपातकालीन दवा स्वरीद	यह जीयूआई पॉलीक्लिनिक/जिला कार्यालय द्वारा स्वरीदी गई आपातकालीन दवाओं के विवरण दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है।

परिशिष्ट-13

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.8; पृष्ठ 30)

प्रत्येक जिले से छः चयनित इकाई कार्यालयों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	चयनित कम जोखिम वाली इकाई कार्यालय का नाम		चयनित मध्यम जोखिम इकाई कार्यालय का नाम		चयनित उच्च जोखिम इकाई कार्यालय का नाम	
1.	भीलवाड़ा	हालेंद (एससी ¹)	रामपुरा (एससी)	धोद (एससी)	परसोली (एससी)	जहाजपुर (एफजीवीएच ²)	फुलियाकला (एफजीवीएच)
2.	चित्तौड़गढ़	जावड़ा (वीएच ³)	करेदिया (एससी)	जंश्मा (वीएच)	केली (एससी)	गंगरार (एफजीवीएच)	जालमपुरा (एससी)
3.	हनुमानगढ़	डबली बास कुतुब (एससी)	मायला (एससी)	गंधेली (वीएच)	रामसरा (एससी)	जासडावाली (वीएच)	पीलीबंगा (एफजीवीएच)
4.	कोटा	देवनारायण एकीकृत आवसीय योजना (एफजीवीएच)	लक्ष्मीपुरा रामगंज मंडी (एससी)	चोमा मलियान (एससी)	मोरपा (एससी)	देवली (वीएच)	मोरक (वीएच)
5.	सवाई माधोपुर	हिंगोटिया (एससी)	पांवटा (एससी)	स्विरनी (वीएच)	रामपुरा (एससी)	गंगापुरसिटी (एफजीवीएच)	रावजना (एससी)
6.	श्रीगंगानगर	मनफूल सिंह वाला (एससी)	प्रभात नगर (एससी)	साधुवाली (एससी)	साहिब सिंहवाला (वीएच)	समेजा कोठी (वीएच)	संघर (एससी)

¹ एससी: उप केंद्र

² एफजीवीएच: प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय

³ वीएच: पशु चिकित्सालय

परिशिष्ट-14

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.11.2 (ii); पृष्ठ 38 एवं 39)

मांग के विरुद्ध दवाओं की अनियमित आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने वाला विवरण

संयुक्त निदेशक कार्यालय का नाम	इकाई कार्यालय का नाम	वाउचर नंबर और जारी करने की तारीख	दवा की श्रेणी संख्या	इकाई द्वारा की गई दवा की मांग	डीडीडी ⁴ द्वारा जारी दवा	
अजमेर	एफजीवीएच ⁵ , उन्ना	1845 (26.09.2018)	एमबी-13	0	30	
		वीएच ⁶ , देवास	एमएफ-28	100	30	
			5408 (31.10.2022)	एमबी-17	0	112
			3977 (16.06.2021)		200	40
			5408 (31.10.2022)	एमबी-2	0	2
	वीएच, बुबानी	3977 (16.06.2021)		30	10	
		1159 (23.11.2017)	एमएफ-13	50	20	
		606 (12.04.2017)		20	50	
		1159 (23.11.2017)	एमएच-3	10	5	
		606 (12.04.2017)		5	10	
भीलवाड़ा	एससी, ⁷ हालेद	8072 (16.09.2022)	एमजी -4 (i)	20	25	
			एमजी-5	0	10	
			एमजी -4 (i)	50	20	
		7927 (05.07.2022)	एमजी-5	40	10	
		5027 (08.09.2020)	एमसी-7ए	400	150	
	एससी, परसोली	4411 (23.04.2020)	एमएफ-20ए	200	60	
		4335 (28.02.2020)	एमसी-16	50	96	
		6769 (06.09.2021)		40	20	
		एससी, रामपुरा				

⁴ डीडी: जिला दवा गोदाम⁵ एफजीवीएच: प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय⁶ वीएच: पशु चिकित्सालय⁷ एससी: उप केंद्र

संयुक्त निदेशक कार्यालय का नाम	इकाई कार्यालय का नाम	वाउचर नंबर और जारी करने की तारीख	दवा की श्रेणी संख्या	इकाई द्वारा की गई दवा की मांग	डीडीजी ⁴ द्वारा जारी दवा
चित्तौड़गढ़	एससी, केली	2150 (15.10.2020)	एमबी-17	0	120
		2820 (08.06.2022)		300	20
		2475 (01.09.2021)		500	200
		2475 (01.09.2021)	एमएन-3ए	100	240
		2150 (15.10.2020)		0	60
		2475 (01.09.2021)	एमसी-7ए	250	80
				300	120
		2542 (29.10.2021)	एमबी-17	100	20
		2433 (25.08.2021)		100	200
			एमसी-7ए	40	80
श्रीगंगानगर	वीएच, जावदा		एमएफ-20ए	80	120
		4620 (09.06.2022)	एमसी-15	50	12
				20	10
		1586 (13.02.2019)	एमएन-1	0	100
			एमसी-16	0	100
		423 (02.04.2017)	एमबी-5	20	100
		711 (07.11.2017)		200	100
		423 (02.04.2017)	एमसी-5	20	100
		711 (07.11.2017)		200	50
		2059 (03.06.2020)	एमसी-8ए	100	200
सवाई माधोपुर	एससी, मोरपा	2565 (01.02.2021)		100	50
		2855 (16.06.2022)	एमएन-11ए	500	40
		2763 (11.04.2022)		500	520
		2763 (11.04.2022)	एमसी-1(i)	10	40
		2565 (22.09.2021)		50	10
		2855 (16.06.2022)	एमजी-1	5	1
			एमके-1ए	0	80
		3107 (09.09.2022)	एमजी-1	1	2
			एमके-1ए	300	120

संयुक्त निदेशक कार्यालय का नाम	इकाई कार्यालय का नाम	वाउचर नंबर और जारी करने की तारीख	दवा की श्रेणी संख्या	इकाई द्वारा की गई दवा की मांग	डीडीजी ⁴ द्वारा जारी दवा
		1628 (04.03.2020)	एमबी-12ए	200	240
		3107 (09.09.2022)		400	60
		1376 (23.10.2019)	एमजी-4	15	10
		3107 (09.09.2022)		1	2

परिशिष्ट-15

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.11.2 (iii); पृष्ठ 39)

पहले एक्सपायर, पहले आउट पद्धति की अनुपालना नहीं करने का विवरण

संयुक्त निदेशक कार्यालय का नाम	संस्थान का नाम	श्रेणी संख्या दवा	बैच नंबर	वाउचर नंबर और तारीख	डीडीडी ⁸ द्वारा जारी मात्रा	बैच एक्सपायरी तिथि
भीलवाड़ा	वीएच ⁹ , जहाजपुर	एमजी-5	डीएफ-54	7906 /27.06.2022	50	31.01.2024
			डीएफ-47	8096/28.09.2022	45	30.06.2023
			केएफ1011	1950/27.07.2020	150	31.05.2022
चित्तौड़गढ़	वीएच, जावदा	एमएन-3ए	केएफ1010	2042/28.09.2020	60	30.04.2022
			सीटीबी1419	1950/27.07.2020	40	31.01.2023
			सीजेडटी20006	2042/28.09.2020	80	30.06.2022
सवाई माधोपुर	जिला दवा गोदाम	वीएसी-1	डीएक्सआईजे 18034	1146/20.02.2019	50	31.05.2020
			एमवी8एल22	1243/18.06.2019	7	30.11.2020
			डीएक्सआईजे18034	1257/21.06.2019	7	31.05.2020
			एमवी8एल22	1280/24.06.2019	1	30.11.2020
			डीएक्सआईजे 18034	1276/25.06.2019	7	31.05.2020
			एचपीसीआर-2508	2636/30.09.2021	20	31.05.2023
			एचपीसीआर-2520	2936/27.06.2022	20	31.01.2024
			एचपीसीआर-2520	05.02.24 को स्वपत	10	31.01.2024
	वीएच, सिरनी	एमएल-2-3	एचपीसीआर-2508	17.05.24 को स्वपत	10	31.05.2023

⁸ डीडीडी: औषधि प्रेषण डिपों

⁹ वीएच: पशु चिकित्सालय

परिशिष्ट-16

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.11.2 (iii); पृष्ठ 40)

एक्सपायरी अवधि के पश्चात उपभोग की गयी दवा का विवरण

संयुक्त निदेशक कार्यालय का नाम	इकाई कार्यालय का नाम	दवाओं की श्रेणी संख्या	डीडीडी ¹⁰ द्वारा जारी मात्रा (वाउचर संख्या और जारी करने की तारीख)	दवा की एक्सपायरी तिथि	उपभोग के लिए जारी एक्सपायरी दवा का विवरण
अजमेर	एफजीवीएच ¹¹ , उन्ना	एमक्यू-10-1	20 (1845/26.09.2018)	30.11.2019	16.01.2020 से 31.03.2020 (08 का इस्तेमाल किया गया)
	एफजीवीएच, ब्यावर	एमबी-3	100 * 10 मिली (1587/ 30.05.2018)	31.07.2018	01.08.2018 से 30.08.2018 (240 एमएल का इस्तेमाल किया)
	वीएच ¹² , भियाने	एमएफ-17	60 (4738/05.01.2022)	28.02.2022	06.03.2022 (01 इस्तेमाल किया गया)
		एमएन-11/ए	400 (4738/05.01.2022)	30.04.2022	02.05.2022 से 03.05.2022 (05 का उपभोग किया गया)
	एससी ¹³ , शेरगढ़	एमक्यू-8	2*20 मिली (22/14.02.2018)	31.07.2018	11.08.2018 (1*20 मिली का इस्तेमाल किया)
	वीएच, बुबानी	एमएफ-4	20*30 मिली (192/02.12.2016)	31.12.2017	01.02.2018 (10*30 मिली का इस्तेमाल किया)
चित्तौड़गढ़			30*30 मिली (316/09.01.2017)		
		एमडी-2-1	50*5 मिली (1847/26.09.2018)	31.06.2019	08.09.2019 (20*05 मिली का इस्तेमाल किया)
	वीएच, जावदा	एमबी-12ए	40 (1650/24.02.2020)	31.10.2020	30.11.2020 (15 प्रयुक्त)
सवाई माधोपुर		एमएफ-20ए	192 (1817/20.04.2020)	31.01.2022	31.03.2022 (14 प्रयुक्त)
	एससी, पांवटा	एमबी-12ए	800 (3240/05.12.2022)	31.03.2024	05.04.2024 से 18.05.2024 (44 दवाओं का उपभोग किया गया)
			100 (3426/20.04.2023)		
			32 (3642/17.06.2023)		
		एमबी-17	700 (3240/05.12.2022)	29.02.2024	04.04.2024 से 10.05.2024 (28 दवाओं का उपभोग किया गया)
			240 (3426/20.04.2023)	31.03.2024	
	एससी, रामपुरा	एमएफ-21	5*60 मिली (5/22.03.2023)	30.04.2023	05.05.2023 (05*60 मिली का इस्तेमाल किया गया)
		एमएफ-16	10*60 मिली(5/22.03.2023)	31.05.2023	05.09.2023 से 16.12.2023 तक (6*60 मिलीलीटर स्पत के लिए जारी किए गए)

¹⁰ डीडीडी: औषधि प्रेषण डिपो¹¹ एफजीवीएच: प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय¹² वीएच: पशु चिकित्सालय¹³ एससी: उप केंद्र

परिशिष्ट-17

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.11.2^(iv); पृष्ठ 41)

अपात्र इकाई कार्यालयों को जारी की गयी दवाइयों का विवरण

संयुक्त निदेशक कार्यालय का नाम	इकाई कार्यालय का नाम	श्रेणी दवा की संख्या	जारी की गई दवाओं का वाउचर नंबर/तारीख	उपभोग की अवधि
भीलवाड़ा	एससी ¹⁴ , धोद	एमएफ-53	7329/13.05.2022	दिसंबर-2022
			8481/21.03.2023	अगस्त-2023
	एससी, हालेद	एमएफ-56	7927/05.07.2022	सितंबर-2022
		एमएफ-53	8397/17.03.2023	अगस्त-2023
		एमबी-7	7071/23.11.2021	मार्च-2022
		एमबी-19	8072/16.09.2022	अप्रैल-2023
	एससी, परसोली	एमबी-14	8072/16.09.2022	अप्रैल-2023
		एमबी-13	8072/16.09.2022	अप्रैल-2023
		एमएन-15-1	6059/11.02.2021	सितंबर- 2021 से अक्टूबर- 2021
		एमजे-3	135/17.06.2017	जून-2017 से अगस्त-2017
			589/16.08.2022	अगस्त-2022
	एससी, रामपुरा	एमएफ-53	602/16.09.2022	सितंबर- 2022 से जून- 2023
			510/27.10.2021	मई-2022
			8281/14.03.2023	मई-2023
		एमएन-15-1	4335/28.02.2020	मई-2020 से जनवरी-2021
		एमएफ-54	6069/11.02.2021	मार्च-2021 से जुलाई-2021
चित्तौड़गढ़	एससी, जलमपुरा	एमएन-14-1	201/28.10.2021	दिसंबर- 2021
			4335/28.02.2020	मई- 2020 से सितंबर- 2020
			5399/04.10.2020	अक्टूबर-2020 से जून- 2021
			421/24.05.2017	जनवरी-2018
			679/26.09.2022	फरवरी-2023
		एमजे-3	421/24.05.2017	जनवरी-2018

संयुक्त निदेशक कार्यालय का नाम	इकाई कार्यालय का नाम	श्रेणी दवा की संख्या	जारी की गई दवाओं का वाउचर नंबर/तारीख	उपभोग की अवधि
श्रीगंगानगर		एसएन-14-1	1376/12.07.2019	अगस्त- 2019 से नवंबर- 2019
			1376/12.07.2019	अगस्त- 2019 से नवंबर- 2019
			1926/23.07.2020	अगस्त- 2020 से अक्टूबर- 2020
	एससी, करेडिया	एसजे-3	3093/30.11.2022	मार्च-2024
			3318/03.05.2023	मार्च-2024
			3318/03.05.2023	सितंबर-2023
	एससी, केली	एसबी-14	2150/15.10.2020	दिसंबर- 2020 से जुलाई- 2021
			1970/04.08.2020	सितंबर- 2020 से अक्टूबर- 2020
			2475/01.09.2021	दिसंबर-2021
			2820/08.06.2022	अक्टूबर- 2022 से जनवरी- 2023
	एससी, साधुवाली	एसएफ-21	4077/28.09.2021	फरवरी-2022 से मई-2023
			4620/09.06.2022	जून- 2022 से जुलाई 2022
			5078/01.12.2022	अक्टूबर- 2023 से मार्च-2024
			4077/28.09.2021	अक्टूबर- 2021 से मार्च-2022
			5078/01.12.2022	जनवरी-2023 से अगस्त-2023
			5593/08.05.2023	जनवरी-2024
कोटा	एससी, मनफूलसिंह वाला	एसएफ-44	5176/ 26.12.2022	दिसंबर-2024 से मार्च-2024
			5176/26.12.2022	दिसंबर-2023
			3542/16.02.2021	जनवरी-2022 से मई-2022
	एससी, प्रभात नगर	एसएन-15-1	3660/23.05.2021	जून-2021 से सितंबर-2021
			167/05.05.2018	मई-2018 से जनवरी-2019
	एससी, संघर	एसबी-5	4794/03.08.2022	मार्च-2023
			3826/28.02.2023	मार्च- 2023 से जुलाई- 2024
			545/23.05.2017	जून- 2017 से अक्टूबर- 2017
	एससी, चोमा मलियान	एसएफ-21	545/23.05.2017	फरवरी- 2018 से जून- 2018
			2061/03.06.2020	अगस्त-2020 से अक्टूबर- 2020
			2382/23.09.2020	अक्टूबर-2020 से जनवरी- 2021
			3751/06.02.2023	फरवरी- 2023 से अप्रैल- 2023
	एससी, मोरणा	एसबी-19	3751/06.02.2023	फरवरी- 2023
			3751/06.02.2023	फरवरी- 2023 से मई- 2023
			3751/06.02.2023	

संयुक्त निदेशक कार्यालय का नाम	इकाई कार्यालय का नाम	श्रेणी दवा की संख्या	जारी की गई दवाओं का वाउचर नंबर/तारीख	उपभोग की अवधि
सवाई माधोपुर	एससी, लक्ष्मीपुरा	एमएफ-58	3546/02.10.2022	नवंबर 2022 से दिसंबर 2023
			3594/31.10.2022	
		एमबी-19	3546/02.10.2022	नवंबर 2022 से दिसंबर 2023
			3594/31.10.2022	
	एससी, पावटा	एमएन-14-1	22/30.01.2021	जनवरी 2021 से फरवरी-2021
		एमएफ-21	1716/10.06.2020	अगस्त-2021
		एमएच-8	2874/21.06.2022	जुलाई-2022
		एमडी-2-1	1098/25.01.2019	फरवरी- 2019 से मार्च- 2019
	एससी, रामपुरा	एमएच-8	2763/11.04.2022	अप्रैल 2022 से जून 2022
		एमएफ-21	2763/11.04.2022	सितंबर-2022
	एससी, रवांजना	एमएफ-56	2855/16.06.2022	अगस्त-2022
		एमएफ-28	2/04.08.2018	जनवरी- 2019
		एमएफ-35	2/04.08.2018	जून 2019 से जुलाई 2019
		एमएल-2-3	2/04.08.2018	दिसंबर-2019

स्रोत: संबंधित इकाई का स्टॉक लेजर रजिस्टर/

परिशिष्ट-18

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.11.3 (i); पृष्ठ 42 एवं 43)

अमानक दवा के उपभोग का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	दवा श्रेणी संख्या	बैच संख्या और समाप्ति तिथि	नमूना संग्रह की तिथि	रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि	डीडीओ और संस्थान का नाम	डीडीडी ¹⁵ द्वारा जारी मात्रा और जारी करने की तिथि	उपभोग की मात्रा और उपभोग की तारीख
1	एमजे-5	आरजे-106 (30.06.2018)	13.06.2018	26.06.2018	अजमेर, एफजीवीएच ¹⁶ उंटड़ा	20/12.04.2017	5/ (01.05.2017 से 15.12.2017)
2	एमजे-5	आरजे-106 (30.06.2018)	13.06.2018	26.06.2018	अजमेर, वीएच ¹⁷ देवास	10/19.04.2017	10/ (05.05.2017 से 15.08.2017)
3	एमजे-5	आरजे-106 (30.06.2018)	13.06.2018	26.06.2018	चित्तौड़गढ़, एफजीवीएच गंगरार	50/23.05.2017	50/ (15.06.2017 से 15.11.2017)
4	एमके-5	47 (31.03.2022)	25.01.2021	09.03.2022	भीलवाड़ा, एससी ¹⁸ धोड	5/06.10.2020	5/ (04.06.2021)
5	एमके-5	47 (31.03.2022)	25.01.2021	09.03.2022	भीलवाड़ा, एफजीवीएच फुलियाकलां	40/06.10.2020	40/ (31.10.2020 से 15.11.2021)
6	एमके-5	47 (31.03.2022)	25.01.2021	09.03.2022	भीलवाड़ा, एससी रामपुरा	1/04.10.2020	1/ (26.11.2021)
7	वीएसी-2	49060 (30.11.2020)	--	27.01.2020	भीलवाड़ा, एससी परसोली	25/23.01.2019	25/ (24.01.2019 से 15.02.2019)
8	एमबी-1	एसवी180 (31.08.2021)	25.11.2019	03.12.2020	भीलवाड़ा, एफजीवीएच फुलियाकलां	20/29.01.2020	20/ (01.03.2020 से 15.11.2020)
9	एमबी-1	एसवी180 (31.08.2021)	25.11.2019	03.12.2020	चित्तौड़गढ़, एफजीवीएच गंगरार	40/ 31.01.2020	40/ (31.03.2020 से 31.08.2020)
10	एमबी-1	एसवी180 (31.08.2021)	25.11.2019	03.12.2020	भीलवाड़ा, एससी रामपुरा	40/ 28.02.2020	35/ (01.01.2021 से 30.05.2021)
11	एमबी-1	एसवी180 (31.08.2021)	25.11.2019	03.12.2020	चित्तौड़गढ़, वीएच जावदा	20/ 20.04.2020	17/ (01.04.2021 से 15.08.2021)

¹⁵ डीडीडी: औषधि प्रेषण डिपो¹⁶ एफजीवीएच: प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय¹⁷ वीएच: पशु चिकित्सालय¹⁸ एससी: उप केंद्र

